

३.	प्रभुख सचिव एवं विधि छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।	पदेन सदस्य
४.	प्रभुख सभिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
(पांच)	भवन कर्मकार के प्रतिनिधि	
१.	श्री द्योगेश दत्त मिश्रा, आमंत्रण पारा राजनांदगांव	सदस्य
२.	श्री नरेन्द्र सिंह, चौहान, बौबे कालोनी रायपुर	सदस्य
३.	श्री शरद छोड़हरि, फाफाड़ीह, रायपुर	सदस्य
४.	श्री चुगलकिशोर साहू, दीपा पारा, रायगढ़	सदस्य
५.	श्रीष्टी रंजु दर्शमुख, आम जेवरा सिरसा, दुर्ग	महिला सदस्य
(छ.)	नियोजकों के प्रतिनिधि	
	श्री गोपलाल गुप्त, डेक्टर, शिवपारा, दुर्ग	सदस्य
१.	श्री हेंडेव न.भार चंद्रेल, काट्टैकटर, पोलसाय पारा, दुर्ग	सदस्य
	श्री लोहन चोपड़ा, अरिहंत बिल्डर्स देवेन्द्र नगर रायपुर	सदस्य
४.	श्री शशिभाई पटेल, कर्सन हेरीटेज, फाफाड़ीह, रायपुर	सदस्य
५.	श्री हरिष्वल्लभ अग्रवाल, सुन्दर नगर, रायपुर	सदस्य

नोट :- १. छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शतों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 251 (दो) में वर्णित एक सदस्य विसका नाम-निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना है, का नाम केन्द्र सरकार से प्राप्त होने पर नियमित किया जावेगा।

२. समिति के सदस्यों का कायकाल छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शतों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 252 अनुसार रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, ३१-सचिव।